

भारत का राजपत्र

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04082026-275182

असाधारण

भाग II – खण्ड 3 – उप-खण्ड (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

[सं. 4147] नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 4, 2026/श्रावण 13, 1948

रेल मंत्रालय

(उत्तर रेलवे) (सड़क सुरक्षा परियोजना इकाई)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 अगस्त, 2026

का.आ. 4323(अ)—केन्द्रिय सरकार रेलवे (संशोधन) अधिनियम-2008 की धारा 2 के खंड (37-क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 1. दिल्ली-अम्बाला सेक्शन पर नरेला-होलम्बी कलाँ स्टेशनों के बीच कि.मी. 25.418 पर स्थित समपार संख्या 16 स्पेशल पर 4 लेन आर.ओ.बी. (रेलवे व्यय पर) का निर्माण नरेला के निकट। 2. दिल्ली-भटिण्डा सेक्शन पर घेवरा-बहादुरगढ़ स्टेशनों के बीच कि.मी. 23.522 पर स्थित समपार संख्या 18-बी पर 4 लेन आर.ओ.बी. (रेलवे व्यय पर) का निर्माण घेवरा के निकट। उत्तर रेलवे के दिल्ली मंडल में स्थित, के निर्माण में लोक प्रयोजन के लिए राष्ट्रीय अवसंरचना उपबंधित कराने हेतु, दिल्ली के जनपद बाहरी उत्तरी दिल्ली में लगभग 1.096 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहण हेतु "विशेष रेल परियोजनाओं" के रूप में अधिसूचित करती है।

[फा. सं. 02-आर.एस.पी/लैंड एक्वीजीशन/एल.सी-16-स्पेशल एवं एल.सी.-18-बि/डि.एल.आइ डिव.]